न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1136–पीबीआर/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–01–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 103/94–95/निगरानी.

.....

विजय सिंह पुत्र देवलाल (फोत वारिस :–)
1–मंगीबाई विधवा विजय सिंह
2–कोक सिंह पुत्र विजय सिंह
3–सरनाम सिंह पुत्र विजयसिंह
4–राजेंन्द्र ना.बा. पुत्र विजयसिंह सरपरस्त मॉ मंगीबाई
5–गजेन्द्र ना.बा. पुत्र विजयसिंह सरपरस्त मॉ मंगीबाई
निवासीगण ग्राम बरौआ नूराबाद तह. व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

रामदयाल पुत्र ओछाराम
निवासीगण ग्राम बरौआ तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री अजय शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 16/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक विजय सिंह द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त लश्कर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

कि ग्राम बरौआ, नूराबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 653 रकबा 0.314, सर्वे कमांक 654 रकबा .073 सर्वे कमांक 655 रकबा 0.282, सर्वे कमांक 656 रकबा 0.010 सर्वे कमांक 657 रकबा 0.166 सर्वे कमांक 658 रकबा 0.084 एवं सर्वे कमांक 659 रकबा 0.376 पर आवेदक का कब्जा है, अतः उसके पक्ष में उक्त भूमियों का व्यवस्थापन किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 16/89–90/अ–19 दर्ज कर दिनांक 14–6–90 को आवेदक के नाम व्यवस्थापन आदेश जारी किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 9–2–1995 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त कर निगरानी स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–1–2005 को आदेश पारित कर निगरानी अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा केवल टेक्नीकल आधारों पर आदेश पारित किये हैं, जबकि स्व0विजय सिंह का कब्जा 2–10–1984 से चला आ रहा है और जब तक वह जीवित थे उनका व उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसान आवेदकगण का कब्जा चला आ रहा है । यह भी कहा गया कि सरपंच द्वारा कथनों से एवं खसरों से स्पष्ट है कि आवेदक भूमिहीन थे तथा सही रूप से तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन किया गया है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क में प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा भी आवेदकगण का स्वत्व माना गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक को अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । उनके द्वारा अधीनस्थ अपर कलेक्टर व अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना इस तथ्य की जॉच किये कि आवेदक विजय सिंह भूमिहीन कृषि श्रमिक है अथवा नहीं, उसके पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, जबकि नियमानुसार तहसीलदार को आवेदक विजयसिंह की पात्रता के संबंध में विचार कर ही प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया जाना चाहिये था । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय में तीसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है । तीसरी निगरानी में दोनों अधीनस्थ अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर